

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

पत्र क्रमांक: प. 13(51)/का0/क-1/गो.प्र./2016

जयपुर, दिनांक

17 MAY 2018

अनुदेश संशोधन

राजस्थान सिविल सेवायें (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) अनुदेश-2008 में अंकित राजपत्रित अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र को हटाया जाता है। यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव